

प्रपत्र-‘अ’

आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(केवल 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आवासीय भवन के लिए)
(उपविधि संख्या-3.1.8)

..... विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम
- (II) वर्तमान पता
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड संख्या
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमन्य उपयोग
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
- (II) परमिट संख्या
- (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो उस प्राविधान के विवरण के साथ अन्य संगत विवरण भी दें जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह प्रकरण स्वतः अनुमोदित प्राविधान से आच्छादित है एवं निर्धारित शर्तें पूर्ण की जा चुकी हैं।
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र के अनुमोदन की संख्या तथा तिथि अंकित करें
- (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि/तिथियाँ एवं रसीद संख्या/संख्याएं तथा शमन मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

रसीद संख्या :

दिनांक :

7. निर्माण की स्थिति: (निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र जो लागू हो, उसके अनुसार विवरण दें)

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया
1	2	3	4	5

- 7.1 सेट बैक (मीटर में)
(क) सामने
(ख) पीछे
(ग) दाएं
(घ) बाएं
- 7.2 बेसमेन्ट(क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)
- 7.3 सुविधाएं (हाँ/नहीं में)
(क) जल आपूर्ति (है/नहीं)
(ख) मलोट्सारण (है/नहीं)
(ग) जल निकास (है/नहीं)
(घ) विद्युत आपूर्ति (है/नहीं)
(च) रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली (है/नहीं)
(छ) सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र (500 वर्गमी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों में) (है/नहीं)
- 7.4 भवन में आन्तरिक परिवर्तन :-
(क) भवन उपविधि के अन्तर्गत (हाँ/नहीं)
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो (हाँ/नहीं)
उसका शमन हो चुका है।
8. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। ऐसा कोई अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भवन पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत
आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)

भाग-ब

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) के भवन संख्या — — — — (पता सहित)
— — — — का निरीक्षण दिनांक — — — — को किया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं
जॉचोपरान्त सही पाई गई हैं। मेरी जाँच के निष्कर्ष निम्नवत् हैं :-

- (I) निर्मित भवन विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

- (II) निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह
क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

अथवा

- (III) निर्मित भवन में जो भाग शमन के योग्य नहीं था उसे ध्वस्त करा दिया गया है। शेष
निर्माण स्वीकृत मानचित्र/शमन मानचित्र के अनुसार है।

उक्त स्थिति में पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता

नाम/पता

काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर

की पंजीकरण संख्या/लाइसेन्स

संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक :

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र
(आवासीय भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूप टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

दिनांक

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या — — — — —
पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री — — — — —
(पदनाम) — — — — — विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत
मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास
अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अथवा

निम्नलिखित कारणों से स्थल निरीक्षण/सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, अतः पूर्णता प्रमाण पत्र
वास्तुविद्/अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है:-

1.
2.

हस्ताक्षर- — — — — —
पदनाम — — — — —
कार्यालय की मुहर — — — — —
दिनांक — — — — —